संख्या- 1/3/96-का-4-2007

प्रेषक,

जे.एस.दीपक,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

कार्मिक अनुभाग-4 लखनऊ :: दिनांक :: 28 जून, 2007

विषय :-सरकारी अधिकारियों / कर्मचारियों की वार्षिक स्थानान्तरण नीति ।

महोदय,

स्थानान्तरण नीति विषयक, समसंख्यक शासनादेश दिनांक 24 मई, 2007 के कम में शासन द्वारा लिये गये निम्न निर्णयों से आपको अवगत कराने का मुझे निदेश हुआ है:-

(1) शासनादेश दिनांक 24 मई, 2007 के प्रस्तर-1 के नीचे नवीन उपप्रस्तर-(छ) एवं (ज) को निम्नवत् जोड़ा जाता है :-

(छ) समूह 'ग' के ऐसे कार्मिक, जिनके संवर्ग प्रदेश स्तरीय हैं, को 06 वर्ष पूर्ण कर लेने के उपरान्त उक्त जनपद से स्थानान्तरित कर दिया जाय ।

(ज) समूह 'ग' एवं 'घ' के ऐसे कार्मिक जिनके संवर्ग जनपद स्तरीय हैं, को 06 वर्ष पूर्ण कर लेने के उपरान्त दूसरे नगर में स्थानान्तरित कर दिया जाय ।

(2) शासनादेश दिनांक 24 मई, 2007 के प्रस्तर-9 के नीचे उपप्रस्तर (12) को निम्नवत जोड़ा जाता है:-

(12) समूह 'क' एवं 'ख' के ऐसे अधिकारी, जिनकी सेवानिवृत्ति में 01 वर्ष शेष रह गया हो, उनका स्थानान्तरण उनके इच्छित जनपद में किये जाने पर यथासंभव विचार किया जाय ।

2. अनुरोध है कि शासन द्वारा लिये गये उपर्युक्त निर्णय का प्रत्येक स्तर पर कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें ।

भवदीय,

28/6/07

(जे.एस.दीपक)
प्रमुख सचिव

संख्या-1/3/96(1)-का-4-2007, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल जी ।
2. प्रमुख सचिव, मा. मुख्य मंत्री जी ।
3. निजी सचिव, मा. मंत्रिगण ।
4. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव / मंत्रिमण्डलीय सचिव ।
5. निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश ।
6. प्रमुख सचिव, विधान परिषद/ विधान सभा, उत्तर प्रदेश ।
7. विशेष कार्याधिकारी, सूचना, मा. मुख्य मंत्री जी ।
8. समस्त विभागाध्यक्ष/ प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।
9. समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
10. समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
11. सचिवालय के समस्त अनुभाग ।

आज्ञा से,

(बी.एन.दीक्षित)
विशेष सचिव